भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2270

07/08/2026 को उत्तरार्थ

विषय: उत्पादन की लागत में वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य

2270. श्री जावेद अली खानः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से 2026 के दौरान विभिन्न फसलों/अनाजों की उत्पादन लागत में प्रतिशत वृद्धि और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में की गई प्रतिशत वृद्धि का फसल वार/अनाज-वार, राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विभिन्न फसलों/अनाजों की उत्पादन लागत में एमएसपी में हुई वृद्धि की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक फसल के लिए फसलों की सुनिश्चित खरीद और एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करने के संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी की सिफारिश करते समय, उत्पादन लागत, घरेलू और वैश्विक बाजारों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अंतरफसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव और उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के दौरान उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत और फसलों के एमएसपी (विपणन ऋतु-वार) का फसलवार और वर्षवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार निर्धारित खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि फसलों की खरीद का प्रस्ताव रखती है और किसानों के पास अपने उत्पाद को सरकारी एजेंसियों को या ओपेन मार्केट में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, बेचने का विकल्प होता है।

कुल उत्पादन में से, सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए विपणन योग्य अधिशेष केवल तब उपलब्ध होता है जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आता है। सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और अन्य निर्धारित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाजों और मोटे अनाजों की खरीद करती है। दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की व्यापक स्कीम के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर दिशा-निर्देशों के अनुसार इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आने की स्थिति में, की जाती है। पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। सरकार द्वारा भी एमएसपी पर कपास और जूट की खरीद क्रमश भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से की जाती है।

बढ़े हुए एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद के आंकड़ों और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है। वर्ष 2004-2014 और वर्ष 2014-2026 (जून, 2026 तक) के दौरान खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि

2004-2014		2014-2026 (जून, 2026 तक)	
कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)
6987	7.41	12819	27.80

इसके अलावा, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा तथा भंडारण और परिवहन आदि जैसे अन्य लॉजिस्टिक/इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले जाते हैं। प्रमुख स्थानों पर मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अलावा अस्थायी क्रय केन्द्र भी स्थापित किए जाते हैं। खरीद अभियान एक निरंतर विकसित हो रही प्रक्रिया है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान, एमएसपी के तहत खरीद प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है ताकि सीधे किसानों के बैंक खाते में एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और राज्यों के खरीद पोर्टलों के साथ आधार और भूमि रिकॉर्ड को जोड़ा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को सीधे एमएसपी खरीद का लाभ मिले।

सरकार ने दलहन में आयात निर्भरता को कम करने और दलहन आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है। दलहन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर पीएम-आशा योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद पहले से रजिस्टर्ड किसानों से उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही मांगों के अनुसार केंद्रीय नोडल एजेंसियों नामतः भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से कर रही है।

सरकार कृषि और बागवानी वस्तुओं, जो नाशवान प्रकृति की हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, की खरीद के लिए पीएम-आशा के अंतर्गत एक घटक, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) भी कार्यान्वित करती है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को व्यस्ततम आवक अवधि के दौरान बंपर फसल की स्थिति में मजबूरन बिक्री करने से बचाना है, जब कीमतें आर्थिक स्तरों और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं। पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्यों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है।

सरकार ने नाशवान फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच के मूल्य अंतर के सीधे भुगतान के लिए 2024-25 सीजन से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत मूल्य अंतर भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक पेश किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास फसल की खरीद करने या किसानों को एमआईपी और बिक्री मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने का विकल्प है।

इसके अलावा, वर्ष 2024-25 सीजन से, सरकार ने किसानों के हित में उत्पाद के उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों में परिवहन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य नामित एजेंसियों को टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत एक और घटक जोड़ा।

सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत को कम करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने और किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलों, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार गतिविधियों, फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है।

अनुबंध

दिनांक 07.08.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा प्रश्न संख्या 2270 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत (A2+FL) (विपणन ऋतु-वार)

(₹/क्विंटल में)

क्र. सं.	**वस्तुएं**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	धान (सामान्य)	1293	1360	1455	1533	1579
2	ज्वार (हाइब्रिड)	1825	1977	2120	2247	2466
3	बाजरा	1213	1268	1371	1485	1703
4	रागी	2251	2385	2564	2860	3257
5	मक्का	1246	1308	1394	1447	1508
6	अरहर (तुअर)	3886	4131	4444	4761	5038
7	मूंग	4850	5167	5705	5788	5845
8	उड़द	3816	4155	4592	4883	5114
9	कपास (मध्यम रेशा)	3817	4053	4411	4747	5140
10	मूंगफली	3699	3873	4251	4522	4842
11	सूरजमुखी	4010	4113	4505	4853	5147
12	सोयाबीन (पीला)	2633	2805	3029	3261	3552
13	तिल	4871	5220	5755	6178	6564
14	रामतिल	4620	4858	5156	5811	6358
15	गेहूँ	1008	1065	1128	1182	1239
16	जौ	1019	1082	1158	1239	1361
17	चना	3004	3206	3400	3527	3699
18	मसूर (लेंटिल)	3079	3239	3405	3537	3705
19	रेपसीड/सरसों	2523	2670	2855	3011	3210
20	कुसुम्भ	3627	3765	3807	3960	4360
21	कोपरा (मिलिंग)	6805	6974	7153	7350	7721
22	जूट	2832	2959	3095	3237	3387

स्रोत: कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी)

अनुबंध जारी

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सभी फसलों की एमएसपी (विपणन ऋतु-वार)

(₹/क्विंटल में)

क्र. सं.	**वस्तुएं**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	धान (सामान्य)	1940	2040	2183	2300	2369
2	ज्वार (हाइब्रिड)	2738	2970	3180	3371	3699
3	बाजरा	2250	2350	2500	2625	2775
4	रागी	3377	3578	3846	4290	4886
5	मक्का	1870	1962	2090	2225	2400
6	अरहर (तुअर)	6300	6600	7000	7550	8000
7	मूंग	7275	7755	8558	8682	8768
8	उड़द	6300	6600	6950	7400	7800
9	कपास (मध्यम रेशा)	5726	6080	6620	7121	7710
10	मूंगफली	5550	5850	6377	6783	7263
11	सूरजमुखी	6015	6400	6760	7280	7721
12	सोयाबीन (पीला)	3950	4300	4600	4892	5328
13	तिल	7307	7830	8635	9267	9846
14	रामतिल	6930	7287	7734	8717	9537
15	गेहूँ	2015	2125	2275	2425	2585
16	जौ	1635	1735	1850	1980	2150
17	चना	5230	5335	5440	5650	5875
18	मसूर (लेंटिल)	5500	6000	6425	6700	7000
19	रेपसीड/सरसों	5050	5450	5650	5950	6200
20	कुसुम्भ	5441	5650	5800	5940	6540
21	कोपरा (मिलिंग)	10335	10590	10860	11160	11582
22	जूट	4500	4750	5050	5335	5650
